CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
14
19 सितम्बर से 25 सितम्बर 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

Web: www.chanakyaiasacademy.com, Email: enquiry@chanakyaiasacademy.com
Toll Free No. 1800 - 274 - 5005

पीएम प्रणाम योजना

संदर्भ :

- राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने की योजना बना रही है - पीएम प्रणाम, जिसका अर्थ है कृषि प्रबंधन योजनाओ के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन।
- प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है , जो 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से 39% अधिक है।

योजना के बारे में

- योजना का अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
- इसके अलावा, सब्सिडी की 50% बचत राज्य को अनुदान के रूप में दी जाएगी जो पैसे की बचत करेगा, और योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान के 70% का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी अपनाने और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर इकाइयो का निर्माण किया जाएगा ।
- शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।
- सरकार एक वर्ष में यूरिया में वृद्धि या कमी की तुलना पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से करेगी।

यूरिया की आवश्यकता

- खरीफ मौसम (जून-अक्टूबर) भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग आधा, दालों का एक तिहाई और तिलहन का लगभग दो-तिहाई उत्पादन करता है। इस मौसम के लिए उर्वरक की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है।
- कृषि और किसान कल्याण विभाग हर साल फसल के मौसम की शुरुआत से पहले उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है, और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय को सूचित करता है।
- आवश्यक उर्वरक की मात्रा हर महीने मांग के अनुसार बदलती रहती है, जो फसल की बुवाई के समय पर आधारित होती है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यूरिया की मांग जून-अगस्त की अवधि के दौरान चरम पर होती है, लेकिन मार्च और अप्रैल में अपेक्षाकृत कम होती है, और सरकार इन दो महीनों का उपयोग खरीफ मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तैयार करने के लिए करती है।

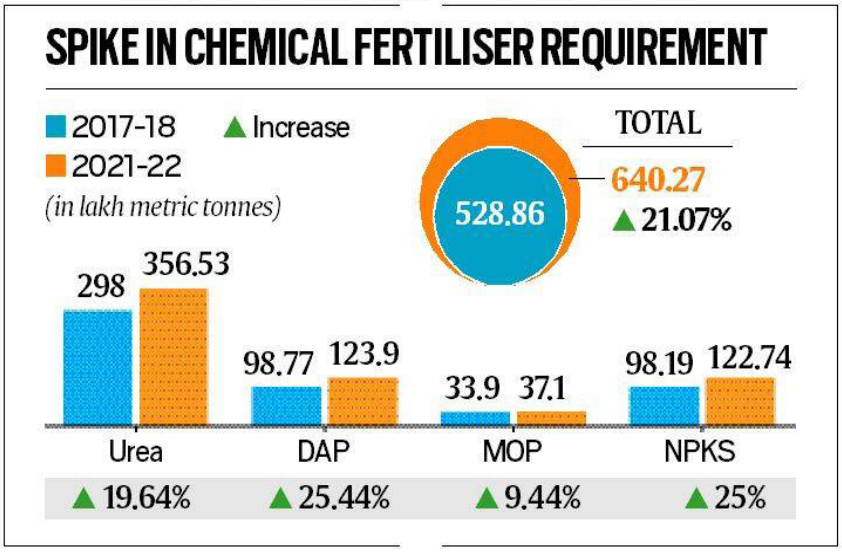

योजना क्यों शुरू की जा रही है?

- पिछले 5 वर्षों में देश में उर्वरक की बढ़ती मांग के कारण, सरकार द्वारा सब्सिडी पर कुल खर्च में भी वृद्धि हुई है।
- चार उर्वरकों की कुल आवश्यकता - यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (पोटाश का म्यूरेट), एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) - 2017-2018 और 2021-2022 के बीच 528.86 लाख मीट्रिक टन (LMT) से 640.27 लाख मीट्रिक टन (LMT),21% की वृद्धि हुई है।
- बढ़ी हुई मांग के सन्दर्भ में, सरकार रासायनिक उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में भी वृद्धि कर रही है। केंद्रीय बजट 2021-22 में, सरकार ने 79,530 करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा था, जो संशोधित अनुमान (आरई) में बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, उर्वरक सब्सिडी का अंतिम आंकड़ा 2021-22 में 1.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- चालू वित्त वर्ष (2022-23) में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन उर्वरक मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के दौरान उर्वरक सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है।
- पीएम प्रणम, जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने का प्रयास करता है, संभावित रूप से राजकोष पर बोझ कम करेगा। प्रस्तावित योजना पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों या वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस के अनुरूप है।

कोयले को धान के भूसे से बदलना

प्रसंग :

- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने कहा कि राज्य में ईंट भट्ठों के मालिक भट्ठों में ईंधन की जरूरतों के लिए कम से कम 20% कोयले को धान-पुआल से बदल दें।
- पीपीसीबी का मानना है कि इससे राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

प्रस्ताव

- ईंट भट्ठा मालिकों को लिखे एक पत्र में, पीपीसीबी ने कहा है कि पंजाब सरकार 20% कोयले के स्थान पर धान की पुआल आधारित पैलेटों के साथ अनिवार्य प्रतिस्थापन के लिए एक नीति तैयार कर रही है।
- यह पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीएससीएसटी) और पीपीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें भट्ठा मालिकों के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कोयले के आंशिक प्रतिस्थापन के संबंध में धान के पुआल के लगाए गए हैं।
- इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है, और जनता की टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

तर्क

- पंजाब में लगभग 2,700 भट्टे हैं, जिनमें से लगभग 2,100 को अपग्रेड किया जा चुका है और वर्तमान में चालू हैं। एक भट्टे की औसत कोयले की खपत, जो साल में 6-7 महीने चलती है, लगभग 900 टन कोयला (उन्नत तकनीक के साथ) उपयोग करता है।
- इस प्रकार, इन चालू भट्ठों में कोयले की खपत लगभग 19 लाख टन प्रति वर्ष होगी, जिसकी लागत लगभग 4,750 करोड़ रुपये होगी। एक टन कोयले की कीमत करीब 25,000 रुपये है, जिसमें माल भाड़ा भी शामिल है।
- पंजाब में साल में दो बार अक्टूबर से दिसंबर और फरवरी से जुलाई तक भट्टे चलाए जाते हैं।
- एक ईंट भट्ठा, जो आमतौर पर 120 फीट ऊंचा होता है (जिसका एक हिस्सा धरती के नीचे होता है) में लगभग 36 कक्ष होते हैं जिनमें लगभग 10-12 लाख मिट्टी की ईंटें सुखाने या सख्त करने के लिए रखी जाती हैं।

- ईंट भट्ठा मालिकों ने कहा कि 20% कोयले के स्थान पर पराली लगाने का मतलब है कि प्रति वर्ष लगभग 200 टन कोयला जलाने को कम किया जा सकता है (और कुल 4.20 लाख टन मूल्य 1,050 करोड़ रुपये)।
- इस 4.20 लाख टन कोयले को बदलने के लिए लगभग 10 लाख टन स्टबल पेलेट की आवश्यकता है क्योंकि कोयले की तुलना में पेलेट की खपत दोगुनी से अधिक होगी।

क्या यह संभव है?

- भट्ठा मालिकों का कहना है कि भट्ठों में धान की पराली का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है।टाटा ब्रिक्स के होशियारपुर स्थित एक ईंट भट्ठे के मालिक ने कहा, "भट्ठा 100% धान की पराली पेलेट ईंधन पर चलाया जा सकता है।"
- उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो पंजाब के 40 से 50 लाख टन पराली का उपयोग अकेले भट्ठा उद्योग में किया जा सकता है।
- "हम शुरुआत में 50% कोयले को स्टबल पेलेट्स से बदलने का भी प्रस्ताव करते हैं और फिर इसे 100% तक बढ़ाया जाना चाहिए,"
- पंजाब में प्रतिवर्ष 220 लाख टन धान की पराली का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 100 लाख टन पराली का प्रबंधन वर्तमान में इन-सीटू और एक्स-सीटू विधियों के माध्यम से किया जाता है और शेष 120 लाख टन खेतों में जला दिया जाता है।
- पीपीसीबी सूत्रों ने बताया कि अगर सभी भट्टियां धान की पराली का इस्तेमाल करती हैं तो 120 लाख टन गैर-प्रबंधित पराली का 40 फीसदी यहां इस्तेमाल किया जा सकता है।

लागत

- विशेषज्ञों का कहना है कि कोयले की तुलना में यह काफी सस्ता होगा। धान के संग्रहण, परिवहन और भंडारण पर 3,000 रुपये प्रति टन से अधिक खर्च नहीं होता है और शेष प्रसंस्करण पर खर्च होता है। पीपीसीबी सूत्रों ने बताया कि इससे उन्हें सालाना कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

पर्यावरण के लिए अच्छा

- धान पराली ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें कोयले की तरह सल्फर की मात्रा अधिक नहीं होती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के अनुसार, यह ईंट भट्ठों के लिए निर्धारित पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के लिए कड़े उत्सर्जन मानक को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

बाधाएं

- भट्ठों में धान की भूसी का उपयोग केवल पेलेट के रूप में ही किया जा सकता है। यह रूपांतरण एक कठिन प्रक्रिया है, और ऐसा करने के लिए राज्य में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
- पंजाब ईंट भट्ठा मालिक संघ के एक सदस्य ने कहा, "धान की पराली को संसाधित करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है।"
- भट्ठा मालिक जिला स्तर पर ऐसी पैलेट इकाइयों की स्थापना और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण ईंधन की आपूर्ति के लिए सरकारी सहायता चाहते हैं

प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल

संदर्भ :

- हाल ही में, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अब तक 7 लाख करोड़ को पार कर गया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.33% अधिक है, जो अर्थव्यवस्था में एक स्पष्ट महामारी के बाद की वापसी का संकेत देता है।

- कॉर्पोरेट करों का प्रवाह 3,68,484 करोड़ के संग्रह के आधे से अधिक है।
- व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से 3.3 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

कर संग्रह में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- यह प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सुव्यवस्थित करने और कर रिसाव को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकार की स्थिर नीतियों का परिणाम है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- बेहतर अनुपालन, खपत में सुधार, और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति पर जीएसटी संग्रह 28 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़कर 1.43 ट्रिलियन रुपये हो गया।
- आर्थिक सुधार के स्तर को ई-वे बिल के मूल्य से भी देखा जा सकता है जो 2021 में 16.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 25.7 लाख करोड़ हो गया है।
- कॉरपोरेट टैक्स अभी लगभग 25-26 प्रतिशत बढ़ रहा है।
- आईटी विभाग ने गैर-दखल तरीके से निर्धारितियों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है; उदाहरण के लिए, ईमेल भेजकर उन्हें रिटर्न फाइल करने की याद दिलाना ।
- डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गहन और व्यापक उपयोग ने आकलन को लोगों की आय की सही-सही रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया है।

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर का भुगतान किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है जो इसे लगाने वाली संस्था को सीधे कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- एक व्यक्तिगत करदाता, उदाहरण के लिए, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर, या संपत्ति पर कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष करों का भुगतान करता है।
- **कर उछाल**
    - **कर उत्प्लावकता सरकार की कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच इस संबंध की व्याख्या करती है।**
    - **यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।**
    - **जब कोई कर उत्प्लावक होता है, तो उसका राजस्व बिना कर की दर बढ़ाए बढ़ता है।**
    - **सरकार की कर राजस्व आय और आर्थिक विकास के बीच एक मजबूत संबंध है।**
- साधारण तथ्य यह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था तेजी से विकास प्राप्त करती है, सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता जाता है।

कर उछाल के लाभ

- लाभार्थी सरकार: यदि अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर प्राप्त करती है तो सरकार राहत और प्रसन्नता महसूस करती है। उच्च जीडीपी विकास दर का सबसे बड़ा लाभार्थी स्वयं सरकार है।
- उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं: सरकार बजट को वित्तपोषित करने के लिए अत्यधिक उधार नहीं ले सकती है
- कल्याणकारी उपाय: उच्च राजस्व वृद्धि के कारण नई योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है। यदि सकल घरेलू उत्पाद उच्च दर्ज की जाती है, तो प्रत्यक्ष आयकर संग्रह में तेजी आएगी। आम तौर पर, प्रत्यक्ष कर जीडीपी विकास दर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है।

सीबीडीटी की संरचना और कार्य

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित छह सदस्य होते हैं
- अध्यक्ष
- सदस्य (आयकर और राजस्व)
- सदस्य (कानून)
- सदस्य (प्रशासन)
- सदस्य (जांच)
- सदस्य (टीपीएस और सिस्टम)
- सदस्य (लेखा परीक्षा और न्यायिक)

आगे बढ़ने का रास्ता

- यह महामारी के बाद आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार का एक स्पष्ट संकेतक है।
- यह स्वस्थ बैलेंस शीट और बढ़ती लाभप्रदता को दर्शाता है क्योंकि यह महामारी से प्रेरित मंदी से उबर गया है।
- केंद्र इस वर्ष मुख्य रूप से स्वस्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह पर भरोसा कर रहा है ताकि अपने वित्त वर्ष 2013 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत के लक्ष्य को बनाए रखा जा सके, जब यूरोप में युद्ध से मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान के कारण इसकी सब्सिडी और कल्याणकारी खर्च प्रतिबद्धताओं में वृद्धि हुई है।

राज्यपाल का कार्यालय: इसकी उत्पत्ति, शक्तियां और विवाद

संदर्भ :

- कई राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका, शक्तियां और विवेक दशकों से संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रहा है। हाल ही में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में संभावित अयोग्यता पर झारखंड के राज्यपाल की लंबी चुप्पी के परिणामस्वरूप राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई ।

राज्यपाल का पद कैसे आया?

- 1858 से, जब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था, प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट थे, जो गवर्नर-जनरल की देखरेख में कार्य करते थे।
- आगे के दशकों में, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने बेहतर शासन के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन से विभिन्न सुधारों की मांग की। इन प्रयासों की परिणति भारत सरकार अधिनियम, 1935 में हुई, जो 1937 में लागू हुआ, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई। इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छह प्रांतों में बहुमत हासिल किया।
- 1935 के कानून के साथ, राज्यपाल को अब एक प्रांत के विधायिका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था, लेकिन विशेष जिम्मेदारियों और विवेकाधीन शक्ति को बरकरार रखा गया था ।

- स्वतंत्रता पर, जब 1947 के अस्थायी संविधान को 1935 के अधिनियम से अनुकूलित किया गया था, राज्यपाल का पद बरकरार रखा गया था, लेकिन वाक्यांश 'अपने विवेक से, 'अपने विवेक से कार्य करना, और 'अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना', को छोड़ दिया गया था।
- संविधान सभा में राज्यपाल के पद पर बड़े पैमाने पर बहस हुई, जिसने भी ब्रिटिश काल से अपनी भूमिका को फिर से उन्मुख करते हुए इसे बनाए रखने का फैसला किया। भारत द्वारा अपनाई गई शासन की संसदीय और कैबिनेट प्रणाली के तहत, राज्यपाल को एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता था।

संविधान सभा में पद के किन पहलुओं पर बहस हुई?

- विधानसभा की बहस के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह थे कि राज्यपाल को चुना जाना चाहिए या मनोनीत किया जाना चाहिए, और क्या उसे कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी जानी चाहिए।
- जबकि अब यह संविधान के अनुच्छेद 154 और 155 में निहित है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नामित किया जाना है, सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या एक मनोनीत राज्यपाल निष्पक्ष हो सकता है।
- संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 143 (अब अनुच्छेद 163) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ एक राज्य के मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को अपने कार्यों को करने में "सहायता और सलाह" देनी चाहिए, "सिवाय जहां तक कि वह है इस संविधान द्वारा या इसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से प्रयोग करने की आवश्यकता है"।
- विधानसभा के कई सदस्यों ने "विवेकाधीन" खंड के बारे में चिंता व्यक्त की। सदस्य रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने विधानसभा के सदस्यों को एक मनोनीत राज्यपाल को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त किया था कि उनकी स्थिति "केवल एक प्रतीक" होगी। उसने तर्क दिया कि कैसे "कोई भी व्यक्ति जिसे अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार है, उसे केवल एक प्रतीक कहा जा सकता है"। उन्होंने पूछा कि क्या हम अतीत में रह रहे थे, हम राज्यपाल को वही शक्ति देकर भूलना चाहते थे जो ब्रिटिश गवर्नरों को दी गई थी।
- डॉ. अम्बेडकर ने तर्कों के जवाब में तर्क दिया कि राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियों के साथ निहित करना "किसी भी तरह से जिम्मेदार सरकार के विपरीत या किसी भी तरह से इनकार नहीं था"। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 143 में "जहां तक वह इस संविधान के तहत वाक्यांश का अर्थ है कि विवेक एक "बहुत सीमित" खंड था।
- सदस्यों ने अनुच्छेद 147 (अब 167) के बारे में भी संदेह जताया, जो राज्यपाल को "राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों" के बारे में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री से पूछने का अधिकार देता है। यह राज्यपाल को यह अधिकार भी देता है कि वह मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद को विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहें, जो निर्णय परिषद के विचार के बिना लिया गया था।
- कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रशासन में हस्तक्षेप करने और बाधित करने में सक्षम करेगा, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह धारणा "पूरी तरह से गलत" थी क्योंकि अनुच्छेद में कहीं नहीं कहा गया था कि राज्यपाल मंत्रालय को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल के मंत्रियों को सलाह देने और चेतावनी देने के सीमित कर्तव्यों को भी हटा दिया जाता है, तो उन्हें "पूरी तरह से अनावश्यक पदाधिकारी" बना दिया जाएगा।

राज्यपाल की भूमिका के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान

- राज्यपाल की भूमिका को परिभाषित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान बताते हैं कि राज्यपाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 164)।
- राज्यपाल विधान सभा को आहूत, सत्रावसान और भंग भी कर सकता है (अनुच्छेद 174)। परंपरा के अनुसार, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है, जबतक उन्हें विधानसभा विश्वास मत प्राप्त होता हैं।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर एम.एम. पुंछी आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उसके विवेक का प्रयोग तभी होता है जब परिषद की सलाह का पालन करना असंवैधानिक होगा या यदि परिषद ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है।

राज्यपाल की भूमिका के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या

- सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने एस.आर. बोम्मई वाद में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1994 में बोम्मई मामले में, यह फैसला सुनाते हुए कि संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।

- एस.आर. बोम्मई अप्रैल 1989 में कर्नाटक में जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, जब उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। बर्खास्तगी इस आधार पर की गई थी कि बड़े पैमाने पर दलबदल के बाद बोम्मई सरकार ने बहुमत खो दिया था। तत्कालीन राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बैया ने बोम्मई को विधानसभा में अपने बहुमत का परीक्षण करने का मौका देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधानसभा का फर्श एकमात्र ऐसा मंच होना चाहिए जो उस दिन की सरकार के बहुमत का परीक्षण करे, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय, जिस पर केंद्र के "एजेंट" होने के आरोपों का हो , जैसा की संविधान सभा के में था ।
- इसके बाद, सरकारों ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा की व्याख्या करने के लिए कई बार शीर्ष अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं, चाहे वह विधानसभा को बुलाने या भंग करने के बारे में हो, मुख्यमंत्री को त्रिशंकु विधानसभा में नियुक्त करने के बारे में हो, या विधेयकों पर सहमति को रोकने के बारे में हो। .
- 2015 के अंत में, अरुणाचल प्रदेश में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया, जहां कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब भाजपा के सदस्यों ने राज्यपाल जेपी राजखोवा को पत्र भेजकर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया के प्रति नाराजगी व्यक्त की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कार्य करते हुए विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाया और अध्यक्ष को हटाने को एजेंडा के रूप में सूचीबद्ध किया।
- अध्यक्ष ने राज्यपाल के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और 2016 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि श्री राजखोवा का निर्णय संविधान का उल्लंघन था, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व वाली नबाम तुकी सरकार की बहाली हुई।
- "राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर सदन को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। और अपनी मर्जी से नहीं ऐसा कुछ नही कर सकता है, "तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने सर्वसम्मत फैसला सुनाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "उनके (राज्यपाल के) विवेक के प्रयोग का क्षेत्र सीमित है"।
- बेंच ने कहा "इस सीमित क्षेत्र में भी, उसकी पसंद की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो, सद्भाव से प्रेरित हो और सावधानी से संयमित हो, ।
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) के एक अन्य फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल "अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ प्रसिद्ध अपवाद स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार करेंगे। "
- केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कई आयोगों ने राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी बात की है, उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया की अध्यक्षता वाले सरकारिया आयोग ने अपनी 1988 की रिपोर्ट में कहा था कि एक ऐसे राज्य में जहां एक विपक्षी दल शासन कर रहा है, केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य राज्यपाल नियुक्त करना वांछनीय नहीं होगा। इसने कहा कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति एक अलग बाहरी व्यक्ति और जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
- बाद में, 2007 में, एम.एम पुंछी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यपालों से स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती थी, और किसी भी राजनीतिक विचार से रहित तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। इसने बताया कि इस तरह के कार्यों की स्वतंत्रता में राज्य विधानमंडल और राजनीतिक कार्यपालिका को केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा से बचाए रखना शामिल होगा।

किर्गिस्तान-ताजिकिस्तान संघर्ष

संदर्भ :

- पिछले सप्ताह के दौरान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संघर्षों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।
- दोनों देशों के बीच 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है। अतीत में भी जल और भूमि संसाधनों के बंटवारे को लेकर भड़क उठे हैं।

सीमा पर क्या हो रहा है?

- पिछले कुछ हफ्तों में स्थानीय समुदायों द्वारा लगातार गोलाबारी, हिंसक टकराव और दोनों ओर सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई है।

- किर्गिस्तान के बैटकेन क्षेत्र में परिवारों को बाहर ले जाया जा रहा है और स्थानांतरित किया जा रहा है।
- किर्गिस्तान के आपात स्थिति मंत्रालय के अनुसार, बैटकेन क्षेत्र की 5,50,000 विषम आबादी में से करीब 1,50,000 लोग या तो क्षेत्र से भाग गए हैं या राज्य द्वारा उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है।
- ओश, किर्गिस्तान में स्थिति अलग नहीं है। अत्यधिक सैन्यीकृत सीमाएँ भी तनाव को बढ़ाती हैं।
- संघर्ष सोवियत पूर्व और बाद के पुराने युग की विरासतों को फिर से चला रहे हैं। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, किर्गिज़ और ताजिक आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त थे।

- सीमा के परिसीमन का मुद्दा सोवियत काल का अवशेष है। जबकि नियमित बातचीत ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है, असहमति के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक मानचित्र पर बना हुआ है जिसका उपयोग सीमांकन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसकी करीब एक हजार किलोमीटर की सीमा का लगभग आधा हिस्सा विवादित है।
- सोवियत संघ के निर्माण ने सामूहिक और राज्य के खेतों में पशुधन के बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण को देखा, जिसने मौजूदा यथास्थिति को परेशान किया।
- दुर्भाग्य से, घूमने के लिए केवल इतनी ही जमीन थी। ताजिक क्षेत्र में उनके पशुधन में वृद्धि देखी गई, और दुर्लभ चराई भूमि के साथ, ताजिकों के पशुधन द्वारा किर्गिज़ क्षेत्र के उपयोग पर दो आबादी के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्तमान में झड़प का कारण क्या है?

- संघर्षों के वर्तमान सेट का वैचारिक आधार विकासात्मक मुद्दों से है, जो पूरे भू-राजनीतिक स्थान को कई छोटे-छोटे संघर्षों और संघर्षों का केंद्र बनने के लिए एक आधार प्रदान करता है।
- संघर्ष के पर्यावरणीय प्रक्षेपवक्र को उन घटनाओं से और अधिक उजागर किया जा सकता है जिनमें दोनों पक्षों के समूहों ने विवादित क्षेत्रों में पेड़ लगाए और कृषि उपकरणों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक शारीरिक टकराव में शामिल हुए।
- फरगना घाटी संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोटों का स्थल बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से ताजिक, किर्गिज़ और उज़बेक शामिल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामान्य सामाजिक विशिष्टताओं, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक प्रथाओं को साझा किया है।
- सोवियत संघ के पतन और तत्कालीन मौजूदा जल और भूमि समझौतों के विघटन के बाद कई छोटे स्वतंत्र खेतों का निर्माण हुआ, जिससे किसानों के बीच पानी की खपत के पैटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- दोनों देश लहरदार पथ और प्रवाह के साथ कई जल चैनलों को साझा करते हैं, जो दोनों तरफ पानी की समान पहुंच को बाधित करते हैं। नतीजतन, महत्वपूर्ण सिंचाई अवधि के दौरान व्यावहारिक रूप से हर साल छोटे पैमाने पर संघर्ष होते हैं।
- एक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए ऐतिहासिक अतीत को साझा करते हुए दोनों देशों की आंतरिक गतिशीलता अलग-अलग रही है। अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों और आंतरिक जातीय संघर्ष के लिए उनकी अस्थिरता का पता लगाया जा सकता है।
- दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने देशों की आंतरिक गतिशीलता को स्थिर करने और अपनी शक्ति को वैध बनाने की उम्मीद में एक विशेष प्रकार की विकास परियोजना की कल्पना के माध्यम से संघर्ष को जारी रखने में किसी न किसी तरह से योगदान दिया है।
- यह 'विकास परियोजना' उसी तरह है जैसे सोवियत संघ आधुनिकीकरण को देखता था - जिसके परिणामस्वरूप घुमंतू समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जो अंततः वर्तमान संघर्ष के 'पर्यावरण चालक' में योगदान दे रहा था।

आगे का रास्ता

- • संघर्ष के समाधान के लिए समूहों को एक सामान्य मानचित्र पर सहमत होने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समुदायों में बड़ों को शामिल करके विवाद को सुलझाने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, संघर्षों को सुलझाने के लिए बड़ों का उपयोग किया गया है।
- • भू-राजनीतिक गत्यात्मकता को स्थिर करने के लिए संबंधित देशों द्वारा संयुक्त प्रयास के माध्यम से अनौपचारिक लघु-स्तरीय शासन तंत्र को और भी मजबूत करना होगा।

संक्षेप में

- भू-आबद्ध दो देश, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है। अतीत में भी जल और भूमि संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद उठे हैं।
- सीमा के परिसीमन का मुद्दा सोवियत काल का अवशेष है। जबकि नियमित बातचीत ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है, असहमति के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक मानचित्र पर बना हुआ है जिसका उपयोग सीमांकन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
- संघर्ष के समाधान के मार्ग के लिए युद्धरत समूहों को एक साझा मानचित्र पर सहमत होने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समुदायों में बड़ों को शामिल करके विवाद को सुलझाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PM प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।
2. योजना का अलग बजट होगा।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पंजाब में सालाना लगभग 220 लाख टन धान की पराली का उत्पादन होता है।
2. धान पराली ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें कोयले की तरह सल्फर की मात्रा अधिक नहीं होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. गलत कथन का चयन करें

(a) हाल ही में, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अब तक 7 लाख करोड़ को पार कर गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.33% अधिक है।

(b) कर उछाल सरकार की कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच इस संबंध की व्याख्या करता है।

(c) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है।

(d) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित पांच सदस्य होते हैं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधान सभा को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और उसे भंग कर सकता है।
2. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने एस.आर. बोम्मई मामले में 1994 में, यह फैसला सुनाया की संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दो लैंडलॉक देश, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा विवादित है।
2. जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर

1	2	3	4	5
A	C	D	D	C

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।